कांग्रेस वीबी-जी राम जी पर दुष्प्रचार कर रही है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई व गुणवत्तापूर्ण सम्पत्तियों का निर्माण हो सकेगा

जयपुर, 7 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई और गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों का निर्माण हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण यह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका। इसमें जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। इनमें अस्थायी सड़कों, अधूरी जल संरचनाओं और बिना योजना के मिट्टी के कार्य करवाए जाते थे जिनकी कोई दीर्घकालिक उपयोगिता नहीं थी। वहीं, नए वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 में इन सभी कमियों को दूर किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर वीबी-जी राम जी पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह करना अनिवार्य होगा और दो सप्ताह से अधिक देरी होने पर स्वत: मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है, ताकि पर्याप्त स्टाफ, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके।

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस ऐतिहासिक सुधार को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है जबकि यह सहकारी संघवाद का मॉडल है, जिसमें राज्यों की 40 प्रतिशत भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रामक और दुष्प्रचारपूर्ण आरोपों को बेनकाब करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनहित में लाए गए वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 की खूबियों को जनता तक पहुंचाना होगा।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी के उद्देश्य से लाया गया था, पर, कांग्रेस सरकार के कमज़ोर प्रशासन व भ्रष्टाचार के कारण यह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका।**

वैनेज़ुएला से आ रहे रुसी टैंकर पर अमेरिका ने कब्जा किया

मॉस्को/ वॉशिंगटन डीसी, 07 जनवरी। वैनेज़ुएला से जुड़ा एक तेल टैंकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था। इसे पकड़ने के लिए अमेरिका अटलांटिक महासागर में पिछले दो हफ्ते से ऑपरेशन चला रहा था। इस बीच यूएस सेना ने कहा कि उन्होंने रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। इसे बचाने के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी भेजी थी। अमेरिका ने जिस टैंकर को पकड़ा है उसका नाम बेला-1 है।

न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहां यूएस आर्मी ने इस टैंकर को जब्त किया वहां रूस की एक पनडुब्बी और वॉरशिप भी देखे गए। यूएस यूरोपीय कमान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रतिबंधों के उल्लंघन के कारण बेला 1 को जब्त कर लिया गया। यह गृह सुरक्षा विभाग और अमेरिकी सैन्य कर्मियों का एक संयुक्त अभियान था। अमेरिका पिछले महीने से ही उस टैंकर का पीछा कर रहा था, जब उसने वैनेज़ुएला के आसपास अमेरिकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश की थी।

अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पिछले महीने पहली बार इस टैंकर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने जहाज पर चढ़ने से इनकार कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, तब से यह रूसी ध्वज के तहत रजिस्टर्ड है।

महाराष्ट्र कांग्रेस-भाजपा गठबंधन बना और टूटा

अंबरनाथ नगर परिषद में शिंदे की शिवसेना के खिलाफ भाजपा, कांग्रेस अजित पवार व एआईएमआईए ने गठबंधन किया था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला राजनीतिक तालमेल हुआ और खत्म भी हो गया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दर किनारे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था।

यह अप्रत्याशित गठबंधन तब हुआ है, जब भाजपा ने एक अन्य नगर निगम में एआईएमआईएम के साथ भी स्थानीय स्तर पर गठबंधन किया, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा के खिलाफ राजनीतिक अवसरवाद के आरोप लगे और तीव्र प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

जहां नेताओं का कहना है कि यह कदम रणनीतिक और सिर्फ स्थानीय निकायों तक सीमित हैं, वहीं ये नये गठबंधन राज्य में महत्वपूर्ण चुनावों से पहले विचारधारा, सुविधा और गठबंधन राजनीति पर फिर से बहस को हवा दे रहे हैं।

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को होने हैं।

लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस ने ऐसे किसी भी गठबंधन से इंकार किया और अंबरनाथ ब्लॉक प्रमुख प्रदीप पाटिल और उनके सभी चुने हुए पार्षदों को "पार्टी अनुशासन का उल्लंघन" करने के आरोप में निलंबित कर दिया।

वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने कहा कि यह गठबंधन अस्वीकार्य है और इसे रद्द कर दिया जाएगा। फड़नवीस ने एक टीवी चैनल को दिये गये इंटरव्यू में कहा, "अगर किसी स्थानीय नेता ने यह निर्णय अपने स्तर पर लिया है, तो यह अनुशासन के दृष्टिकोण से गलत है और कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने कहा, "अगर ऐसा गठबंधन बनाया गया है, तो इसे रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है।"

भाजपा, कांग्रेस और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने मिलकर "अंबरनाथ विकास अघाडी" नामक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में 14 भाजपा पार्षद, 12 कांग्रेस पार्षद, एनसीपी (अजित पवार गुट) के चार सदस्य और एक स्वतंत्र पार्षद शामिल थे। नगरपालिका अध्यक्ष के शामिल हो जाने से गठबंधन की सदस्य संख्या बढ़कर 32 हो गई, जिससे भाजपा को नगर पालिका में आरामदायक बहुमत मिल गया।

इस गठबंधन के समर्थन से, भाजपा नेता तेजश्री करांजुले अंबरनाथ नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष (महापौर) चुन लिये गये। यह परिणाम खासतौर पर इसलिये महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव परिणामों के बाद शिवसेना (शिंदे गुट) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। फिर भी, उस संख्यात्मक लाभ के बावजूद, शिंदे गुट को चुनाव बाद के राजनीतिक दाँव-पेच के द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया।

स्थानीय भाजपा नेतृत्व ने इस निर्णय के बचाव के लिये, पहले इसे विकास और स्वच्छ शासन से जोड़ा था। स्थानीय भाजपा नेता गुलाबराव करांजुले पाटिल ने कहा कि यह गठबंधन अंबरनाथ को एक भय और भ्रष्टाचारमुक्त शहर बनाने के लिए व्यापक हित में किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना (शिंदे गुट) के कार्यकाल में, गंभीर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे और दो पूर्व नगरपालिका अध्यक्षों को तो जेल हो गई।

अंबरनाथ प्रकरण ने महायुति गठबंधन में बढ़ते तनावों को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। अंबरनाथ में भाजपा-कांग्रेस गठबंधन का असर केवल एक नगरपालिका परिषद तक सीमित नहीं है। इससे महाराष्ट्र में गठबंधन राजनीति के भविष्य पर गंभीर सवाल उठे हैं: क्या आगामी नगर निगम और नागरिक चुनावों में भी इसी तरह के अप्रत्याशित गठबंधन उभरेंगे? क्या सत्ता के गणित और चुनाव बाद की रणनीतियों के सामने वैचारिक नारों की कोई प्रासंगिकता नहीं रही है?

- **लेकिन कांग्रेस ने इस पर सख्त नाराज़गी जताई और अंबरनाथ के पार्टी अध्यक्ष प्रदीप पाटिल और 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया।**
- **महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने भी अंबरनाथ भाजपा इकाई को कड़ी फटकार लगाई और ऐसे किसी भी गठबंधन को खत्म करने का आदेश दिया।**
- **इस प्रकार राजनीति में अवसरवाद को खुल कर प्रदर्शित करने वाले गठबंधन ड्रामा का पटाक्षेप हुआ।**

अमेरिका की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की और अपहृत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की रिहाई की मांग की। एर्दोगान ने कहा कि इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति के स्थापित मानदंडों को नष्ट कर दिया है।

तुर्की के राष्ट्रपति का बयान एक महत्वपूर्ण घटना है। तुर्की नाटो सैन्य गठबंधन का सदस्य है और यहां तक कि वहां अमेरिका के प्रमुख सैन्य अड्डे भी हैं।

चीन ने भी वैनेज़ुएला पर अमेरिकी सशस्त्र कब्जे की कड़ी आलोचना की है। चीन ने इस कदम को अवैध और गलत बताया है। उसने अमेरिकी कार्रवाई को पलटने की मांग की है।

वैनेज़ुएला की स्वतंत्रता खत्म होने और मादुरो का अपहरण विशेष रूप से चीन के लिए बहुत चुभने वाला है, क्योंकि उसने दशकों तक इस देश के साथ संबंध विकसित किए थे, ताकि वह क्षेत्र में अपनी पकड़ बना सके। वैनेज़ुएला ने कई कदम उठाकर अमेरिकी तेल कंपनियों को निष्कासित किया और रूस और चीन की कंपनियों को देश के तेल क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी।

अब अमेरिकी कंपनियों के लिए यह एक खुला मैदान होगा। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि वैनेज़ुएला ने उन अमेरिकी तेल कंपनियों की संपत्ति का जबरन अधिग्रहण किया था, जो पहले इस देश में काम कर रही थीं। अब उन कंपनियों को मुआवजा दिया जाएगा।

सचिन पायलट केरल में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त

नई दिल्ली, 07 जनवरी। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तत्काल प्रभाव से असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों में संगठनात्मक समन्वय, चुनावी रणनीति की निगरानी, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और स्थानीय नेतृत्व के साथ तालमेल सुनिश्चित करना होगा।

पार्टी नेतृत्व ने इन राज्यों में चुनावी प्रबंधन बेहतर बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा है। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, असम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और बंधु तिर्के को वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये नेता राज्य में चुनाव प्रचार और रणनीति की देखरेख करेंगे।

केरल में पार्टी ने युवा और अनुभवी नेताओं के मिश्रण पर भरोसा जताया है। यहां सचिन पायलट, के.जे. जॉर्ज, इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए मुकुल वासनिक, उत्तम कुमार रेड्डी और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को जिम्मेदारी मिली है।

पश्चिम बंगाल में चुनावी गतिविधियों की निगरानी के लिए सुदीप रॉय बर्मन और शकील अहमद खान को नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के जरिए कांग्रेस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में पूरी मजबूती और रणनीतिक तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रही है।

झारखंड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाथी का आतंक बाबरिया गांव तक सीमित नहीं रहा। बड़ा पासीया गांव में भी हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं लांपाईसाई गांव में एक अन्य ग्रामीण को हाथी ने रौंदकर मार डाला। इन दोनों गांवों में मृतकों की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी।

'ऑपरेशन वैनेज़ुएला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रपति निवास के परिसर में ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसकी सुरक्षा वैनेज़ुएला और क्यूबा के सुरक्षा कर्मी कर रहे थे।

वैनेज़ुएला के अटॉर्नी जनरल ने अब घोषणा की है कि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का अपहरण और ज़बरन उठाकर ले जाना "अंतरराष्ट्रीय अपहरण" और "युद्ध अपराध" है। उन्होंने दोनों की तत्काल रिहाई की मांग की है।

अमेरिका ने अब यह स्वीकार किया है कि हमले में शामिल कई सैन्य कर्मी घायल हुए हैं, हालांकि दावा किया गया है कि उनमें से अधिकतर ड्यूटी पर लौट आए हैं। फिर भी, अगर बाद में यह सामने आए कि कई अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। वैनेज़ुएला की राजधानी पर पूरा हमला देश की सेना और सुरक्षा बलों तथा हमलावर अमेरिकी सेना के बीच एक भयानक लड़ाई थी। अमेरिका ने बताया है कि इस अभियान में जहाज़ों और अन्य वाहनों के अलावा, कम से कम 150 विमान शामिल थे।

हमला करने वाले अमेरिकियों और वैनेज़ुएला की सेनाओं के बीच हवा में डॉगफाइट भी हुई। काफी हद तक यह पता था कि अमेरिका देश पर हमला करने वाला है, इसलिए वैनेज़ुएला की सेनाएं पूरी तरह चौकन्नी थीं।

यह अब भी एक पहेली है कि ज्यादा लोग हताहत क्यों नहीं हुए। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी कार्रवाई में, खासकर इतने घनी आबादी वाले शहर में, इससे कहीं अधिक मौतें और आम नागरिकों को नुकसान होना चाहिए था। कार्यवाहक वैनेज़ुएला राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश और जनता की रक्षा करते हुए मारे गए "बहादुर पुरुषों और महिलाओं" के लिए सात दिन के शोक की घोषणा की है। लोगों को अपने संबोधन में उन्होंने सख़्त अमेरिका-विरोधी रुख अपनाया और कहा कि अब देश समझता है कि अपने लोगों की शांति और जान की रक्षा के लिए क्या करना पड़ता है।

दूसरी ओर, अमेरिका ने अपना लहजा और सख़्त करते हुए वैनेज़ुएला से मांग की है कि वह रूसी और चीनी कंपनियों को देश से बाहर निकाले और लगभग 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका को सौंपे, ताकि उसे वैश्विक बाज़ारों में बेचा जा सके। इससे होने वाली आय का लाभ अमेरिका को होगा और बचा हुआ कुछ हिस्सा मूल देश को मिलेगा।

हालांकि, अमेरिका वैनेज़ुएला में एक बेहद आज्ञाकारी राष्ट्रपति भी चाहता है, जो नए अमेरिकी आकाओं के आदेशों पर चले।

- **इस मंतव्य की पूर्ति के लिए अमेरिका वैनेज़ुएला में बड़ा कमज़ोर राष्ट्रपति चाहता है, जो उसके आदेशों के अनुसार चले। पर, अभी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा।**

'गड़बड़ी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता। एसआई भर्ती में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिससे साबित हो की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही दूषित थी। यह भर्ती एक विस्तृत और बहुस्तरीय प्रक्रिया के तहत आयोजित हुई थी, जिसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और फिजिकल परीक्षा शामिल थीं। यदि कुछ अभ्यर्थियों के मामले में अनियमिता सामने आई है तो उनके मामले में अलग से कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इससे बड़ी संख्या में ईमानदार दूसरे अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, मामले में राज्य सरकार की ओर से अपनी बहस पूरी कर ली गई है। अदालत मामले में गुरुवार को चयनित अभ्यर्थियों के वकीलों की बहस सुनेगी।

ट्रंप के वैनेज़ुएला एक्ट पर भारतीय प्रतिक्रिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों के एकतरफा उल्लंघन पर चुप नहीं रह सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी कार्रवाइयों को बिना चुनौती छोड़ा गया तो वह नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को कमज़ोर करेंगी, जिस पर भारत खुद निर्भर करता है।

कई टिप्पणीकारों ने 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के समय भारत की प्रतिक्रिया से इसकी तुलना की, तब भी नई दिल्ली ने खुली निंदा से बचते हुए संवाद और कूटनीति पर जोर दिया था। टेलीग्राफ ने वेनेज़ुएला पर भारत के बयान को देरी से आया और टालमटोल वाला बयान बताया और कहा कि एक बार फिर भारत बड़े देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों को तोड़े जाने पर नैतिक रुख लेने से बचता दिखा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने और तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति की भाषा से नैतिक ताकत गायब होती जा रही है। वेनेज़ुएला के तेल के खिलाफ कार्रवाई को कोई भी बहाना सही नहीं ठहरा सकता। इतिहास इस सतर्क भाषा को माफ नहीं करेगा। उन्होंने आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों की भारत की मुखर कूटनीति से इसकी तुलना की। वाम दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। माकपा, भाकपा, भाकपा (माले) लिबरेशन, आरएसपी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने संयुक्त बयान में इसे "अमेरिकी आक्रामकता" और वेनेज़ुएला के चुने हुए नेतृत्व के अपहरण की संज्ञा दी। उन्होंने भारत सरकार से हमले का विरोध करने वाले देशों के साथ खड़े होने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बिना किसी हिचकिचाहट के रक्षा करने की मांग की।

यह हिचक क्यों है? विश्लेषकों का कहना है कि भारत का अमेरिका के साथ रणनीतिक जुड़ाव गहराता जा रहा है। अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार, प्रमुख तकनीकी आपूर्तिकर्ता और चीन के मुकाबले एक अहम संतुलनकारी शक्ति है। अमेरिकी रणनीतिकार जॉन सिटिलाइड्स ने कहा कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व देता है, लेकिन यह भी जानता है कि वेनेज़ुएला अभियान वॉशिंगटन के "नेशनल प्राइमेसी" सिद्धांत के तहत किया गया था, जिसमें साझेदार देशों की असहमति को पसंद नहीं किया जाता।

कुछ विशेषज्ञ आर्थिक पहलू पर भी जोर देते हैं। "द हिंदू" की कूटनीतिक संपादक सुहासिनी हैदर के अनुसार, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताएं इस समय संवेदनशील दौर में हैं और यूक्रेन, गाज़ा से लेकर ईरान तक कई मुद्दों पर भारत ने ऐसे समय संतुलित बयान दिए हैं, जब अमेरिकी हित सीधे जुड़े रहे हैं।

फिर भी, इस रवैये पर दोबारा सोचने की मांग उठ रही है। नीति विशेषज्ञ ज़ोरावर दौलत सिंह ने चेताया कि इस तरह के अस्पष्ट बयान आगे चलकर भारत के अपने पड़ोस में भी आम प्रतिक्रिया बन सकते हैं, जिससे प्रतिरोधक क्षमता और रणनीतिक स्पष्टता कमजोर होगी। रणनीतिक मामलों के विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि भारत ने भले ही एकतरफा सैन्य कार्रवाई पर असहजता जताई हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का हवाला न देने से ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उसके दावे को नुकसान पहुंच सकता है।

हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं मानते कि भारत ने गलती की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार के विवेक का बचाव करते हुए कहा कि वैश्विक मानदंडों के कमज़ोर होते दौर में भाषणबाज़ी नहीं, बल्कि कूटनीति ही भारत का मार्गदर्शन करे। "भारत न तो छोटा देश है और न ही साम्राज्य", उन्होंने कहा, "उसे इस खतरनाक दौर में सावधानी से आगे बढ़ना होगा।"

यह बहस भारत की विदेश नीति के भीतर गहरे तनाव को उजागर करती है- अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और संप्रभुता, गैर-हस्तक्षेप तथा अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा करने की उसकी ऐतिहासिक भूमिका के बीच संतुलन कैसे बने। वेनेज़ुएला इस सवाल की ताज़ा परीक्षा बन गया है कि क्या भारत अब भी उस पतली रेखा पर चल सकता है, या रणनीतिक मजबूरियां उसकी आवाज़ को धीरे-धीरे सीमित करती जा रही हैं।

'मध्य प्रदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिशत है। इसका मतलब है कि राज्य में 36.7 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल नमूने असुरक्षित पाए गए, जिनमें बैक्टीरियाई या रासायनिक प्रदूषण था। ये नमूने सितंबर-अक्टूबर 2024 के दौरान मध्य प्रदेश के 15,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों से एकत्र किए गए थे। इलाज और सुरक्षा से संबंधित स्थानों पर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। सरकारी अस्पतालों में, केवल 12 प्रतिशत पानी के नमूने माइक्रोबायलॉजिकल सुरक्षा परीक्षणों में पास हुए, जबकि राष्ट्रीय औसत 83.1 है। मध्य प्रदेश के लगभग 88 प्रतिशत अस्पतालों में मरीजों को असुरक्षित पेयजल दिया जा रहा है।

ट्रंप की "ग्रीनलैंड" पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहना है कि प्रशासन वहां अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक, सभी रास्तों पर विचार कर रहा है। लेकिन सैन्य बल का खुला ज़िक्र डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लिए एक लाल रेखा पार करने जैसा है। इससे पहले जिसे लोग ट्रंप की अजीब सनक मानकर टाल रहे थे, वह अब एक गंभीर गठबंधन विवाद बन गया है।

डेनमार्क की प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी दी कि ग्रीनलैंड के खिलाफ किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई प्रभावी रुप से नाटो को नष्ट कर देगी और इस सुरक्षा ढांचे को खत्म कर देगी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा है। यूरोपीय नेताओं ने भी एकजुट होकर बयान जारी किए और कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा है और इसलिए वह नाटो की सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताओं के तहत आता है। उन्होंने कहा कि बलपूर्वक उसकी स्थिति बदलने की कोई भी कोशिश अंतरराष्ट्रीय कानून और गठबंधन के नियमों का उल्लंघन होगी।

भड़काऊ भाषा के बावजूद, ग्रीनलैंड के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना बेहद कम है।

पहली बात, ग्रीनलैंड नाटो का क्षेत्र है। गठबंधन के किसी सदस्य देश पर अमेरिका का हमला अभूतपूर्व होगा और इससे नाटो अंदर से ही टूट जाएगा, जो अमेरिका की वैश्विक ताकत को बढ़ाने के बजाय कमज़ोर करेगा।

दूसरा, अंतरराष्ट्रीय कानून ऐसे किसी कदम की अनुमति नहीं देता। ग्रीनलैंड की विदेश और रक्षा नीति डेनमार्क के नियंत्रण में है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर साफ तौर पर बलपूर्वक किसी क्षेत्र पर कब्ज़े को प्रतिबंधित करता है।

तीसरा, खुद ग्रीनलैंड इसका विरोध करता है। वहां की निर्वाचित सरकार ने अमेरिकी अधिग्रहण के विचार को खारिज कर दिया है और द्वीप की जनता भारी बहुमत से डेनमार्क के भीतर स्वशासन बनाए रखने के पक्ष में है, न कि अमेरिका में शामिल होने के।

चौथा, अमेरिका की घरेलू राजनीति भी सीमा तय करती है। कांग्रेस ने ग्रीनलैंड को लेकर नाटो सहयोगियों से टकराव में कोई खास इच्छा नहीं दिखाई है, और वरिष्ठ सांसदों ने सार्वजनिक रुप से सैन्य कार्रवाई के विचार को हल्के में लिया है। इससे साफ है कि यह बयानबाज़ी ज़मीनी कार्रवाई में बदलने वाली नहीं है।

इसलिए विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की भाषा युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि रणनीतिक संकेत है, जो उनकी उस मोलभाव शैली के अनुरूप है, जिसमें वे ज्यादा से ज्यादा मांगें रखकर दबाव बनाते हैं, प्रतिक्रियाएं परखते हैं और बहस की दिशा बदलते हैं। व्यावहारिक रूप से, अमेरिका द्वारा क्षेत्रीय अधिग्रहण के बजाय सैन्य ठिकानों के अधिकार बढ़ाने, ढांचागत और खनिज निवेश करने या सुरक्षा सहयोग मज़बूत करने की कहीं ज़्यादा संभावना है।

डेनमार्क और ग्रीनलैंड में अधिकारी वाशिंगटन से तुरंत बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तनाव कम किया जा सके और ग्रीनलैंड की स्थिति व आकांक्षाओं को लेकर, जैसा वे कहते हैं, अमेरिका की बुनियादी गलतफहमी दूर की जा सके। नॉर्डिक देशों ने भी यही रुख अपनाया है और कहा है कि आर्कटिक सुरक्षा को दबाव से नहीं, सहयोग से मज़बूत किया जाना चाहिए।

इस तरह ट्रंप की टिप्पणियों ने बयानबाज़ी तेज़ कर दी है और गठबंधन के विश्वास को हिला दिया है, लेकिन ये किसी वास्तविक सैन्य खतरे का संकेत नहीं हैं। इसके बजाय उन्होंने विश्वास का एक राजनयिक संकट पैदा कर दिया है, जो दिखाता है कि रणनीतिक दिखावा कितनी आसानी से पहले से ही अस्थिर भू-राजनीतिक माहौल में अस्थिर करने वाले खतरनाक टकराव में बदल सकता है।

- **ट्रंप के सोच से वाकिफ, विशेषज्ञों की राय है कि यह ट्रंप के काम करने का स्टाइल है कि वे ऐसी ऊल-जुलूल वक्तव्यबाजी केवल लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए करते हैं तथा सामरिक बहस का फोकस बदलते हैं। उनका मंतव्य युद्ध नहीं, बल्कि केवल, "मैसेज" देना होता है।**

"एक हफ्ते में 5 लाख रूपये का जुर्माना भरे, उसके बाद ही कुलगुरू के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी"

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलगुरू के नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 7 जनवरी। राजस्थान विश्वविद्यालय कुलगुरू पद पर प्रोफेसर अल्पना कटेजा की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश समीर जैन ने पाया कि याचिकाकर्ता ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिन्हें कि इस मामले की सुनवाई के पूर्व साझा किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इसलिए अदालत ने याचिकाकर्ता पर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए आदेश दिये हैं कि न केवल सभी तथ्यों को स्पष्टता से उद्धृत करें, बल्कि एक हफ्ते की भीतर पांच लाख रूपये का जुर्माना भी भरें। अदालत ने कहा कि इस मामले में सुनवाई जुर्माना भरे जाने के बाद ही शुरू की जायेगी और अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो याचिका रद्द कर दी जावेगी।

इस मामले में राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. शर्मा पैरवी के लिये पेश हुए थे, वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगरू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी पैरवी के लिए पेश हुए थे। राज्यपाल की ओर से इस मामले में महाधिवक्ता पैरवी के लिए अदालत में उपस्थित थे।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सविता सिहाग ने अदालत को बताया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 1 अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने आवेदन किया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि आवेदन करते समय अल्पना कटेजा ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की जानकारी नहीं दी, जो कि नियमों की अवहेलना है। इसी अवहेलना के कारण कुलगुरू पद से उनको हटाया जाना चाहिए।

वहीं, कुलगुरू की ओर से दायर जवाब में स्पष्ट कहा गया कि स्वयं याचिकाकर्ता ने कई तथ्यों को उजागर नहीं किया, जो उनकी याचिका खारिज करवाने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने शपथ पत्र में यह नहीं बताया कि उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2022 से 2025 के बीच करीब 36 मामले पहले ही दायर कर रखे हैं, जो अन्य अदालतों में लम्बित हैं।

सुनवाई के दौरान यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने चार आपराधिक मामले दायर किये हैं, जिनमें 440 लोगों पर आरोप लगाए गये थे जिनमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलगुरू, अन्य अध्यापक और सलेक्शन कमेटी के सदस्य शामिल थे।

मामले पर जिरह के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2021 में निचली अदालत ने एक आपराधिक मामले में दोषी पाया था। याचिकाकर्ता पर 2016 से एक आपराधिक मामला लम्बित है, और वह अन्य एफ.आई. आर. में आरोपी है।

कुलगुरू की ओर से यह भी बताया कि याचिकाकर्ता घुसपैठ करने और किसी की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक मामले में दोषी पाया गया था, वह उसकी अपील में हिरासत से बाहर आया हुआ है।

जिरह के दौरान कुलगुरू की ओर से अदालत को कहा गया कि ये तथ्य दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता ने सभी तथ्यों को छुपाते हुए, कुत्सित इरादों के साथ यह याचिका दायर की है, इसलिए उसे खारिज कर देना चाहिए।

कुलगुरू की ओर से यह भी बताया गया कि जिस आपराधिक मामले की जानकारी अपने आवेदन पत्र में नहीं बताने का आरोप लगाया गया है, वह बेबुनियाद है, क्योंकि उक्त मामले में निचली अदालत ने मामले को खारिज कर दिया था। जिरह के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने संशोधन करने व दोबारा मामले की सुनवाई करने के लिए आवेदन दायर किया था, परन्तु इस मामले में कुलगुरू को अदालत से अभी तक नोटिस जारी नहीं किये गये हैं, जो कि कोर्ट के रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है। कुलगुरू की ओर से कहा गया कानूनी रूप से यह नहीं कहा जा